



सत्यमेव जयते

Web Copy - No. 01/2017

डिक्री बमुकददमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 147/2017

दायर दिनाँक 05.06.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. भवानीसिंह पुत्र ज्ञानसिंह, उम्र-60साल, जाति-राजपूत, आजड़ोली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. टीकुराम पुत्र चन्द्राराम, 2. सातुराम पुत्र पूसाराम, 3. खांगाराम पत्र पूसाराम, 4. सुखाराम पुत्र पूसाराम, 5. मदनलाल पुत्र पूसाराम, 6. दुर्गादेवी पुत्री पूसाराम, 7. निम्बुदेवी पुत्री पूसाराम, 8. ओमादेवी पुत्री पूसाराम, 9. सरजुदेवी पुत्री पूसाराम, 10. छोटीदेवी पत्नी पूसाराम, 11. अरजनराम पुत्र मंगना, 12. हणमान पुत्र मंगना, 13. पूर्णाराम पुत्र मंगना, 14. सवाईराम पुत्र मंगना, 15. पुरखाराम पुत्र मंगना, 16. मोहनीदेवी पत्नी मंगना, 17. पूर्णाराम पुत्र हरजी, 18. नेहरामराम पुत्र हरजी, 19. पुसी पत्नी हरजी, समस्त, जाति-मेघवाल, निवासी-आजड़ोली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 20. चैनाराम पुत्र हीरा, 21. मुकेश पुत्र दानाराम, 22. मन्जु पुत्री दानाराम, 23. आसीदेवी पत्नी दानाराम, 24. श्रवणराम पुत्र हुक्माराम, 25. श्रीनिवास पुत्र हुक्माराम, 26. नारायणराम पुत्र हुक्माराम, 27. केसरदेवी पत्नी हुक्माराम, 28. सम्पत पुत्री हुक्माराम, नाबालिग जरिये संरक्षक माता केसरदेवी, समस्त, जाति-जाट, निवासी-आजड़ोली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 29. मदनसिंह पुत्र छोगसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-आजड़ोली,
	बनाम्

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

तहसील-डीडवाना,
जिला-नागौर, राजस्थान,
30. तहसीलदार डीडवाना,
जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत
बन्तवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-53, 188, R.T.Act.

दिनांक 12.02.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री अजीतसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादी व श्री नागपालसिंह राठौड़, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05, 11 ता 15, 17, 18, 20, 21 व 24 ओर से मदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा आजडोली तहसील डीडवाना के आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 20.12 बीघा व खसरा नम्बर 89 रकबा 71.17 बीघा का बाईमीट्स एण्ड वाउण्ड्स से बन्तवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.12.2017 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। विभाजन प्रस्ताव, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
.....-..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 12.02.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)


न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 147/2018

दायर दिनांक 05.06.2017

वादी	प्रतिवादीगण
<p>1. भवानीसिंह पुत्र ज्ञानसिंह, उम्र-60साल, जाति-राजपूत, आजड़ोली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>	<p>बनाम्</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. टीकुराम पुत्र चन्द्राराम, 2. सातुराम पुत्र पूसाराम, 3. खांगाराम पत्र पूसाराम, 4. सुखाराम पुत्र पूसाराम, 5. मदनलाल पुत्र पूसाराम, 6. दुर्गादेवी पुत्री पूसाराम, 7. निम्बुदेवी पुत्री पूसाराम, 8. ओमादेवी पुत्री पूसाराम, 9. सरजुदेवी पुत्री पूसाराम, 10. छोटीदेवी पत्नी पूसाराम, 11. अरजनराम पुत्र मंगना, 12. हणमान पुत्र मंगना, 13. पूर्णाराम पुत्र मंगना, 14. सवाईराम पुत्र मंगना, 15. पुरखाराम पुत्र मंगना, 16. मोहनीदेवी पत्नी मंगना, 17. पूर्णाराम पुत्र हरजी, 18. नेहरामराम पुत्र हरजी, 19. पुसी पत्नी हरजी, समस्त,जाति-मेघवाल, निवासी-आजड़ोली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 20. चेनाराम पुत्र हीरा, 21. मुकेश पुत्र दानाराम, 22. मन्जु पुत्री दानाराम, 23. आसीदेवी पत्नी दानाराम, 24. श्रवणराम पुत्र हुक्माराम, 25. श्रीनिवास पुत्र हुक्माराम, 26. नारायणराम पुत्र हुक्माराम, 27. केसरदेवी पत्नी हुक्माराम, 28. सम्पत पुत्री हुक्माराम, नाबालिग जरिये संरक्षक माता केसरदेवी, समस्त,जाति-जाट, निवासी-आजड़ोली,


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना (नागौर)

राजस्थान-वाद, संख्या 147/2018
 दाखल दिनांक 05.06.2017, निर्णय दिनांक 12.02.2018
 भयानीसिंह बनाम टीकुराम, वगैरा।

		तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 29. मदनसिंह पुत्र छोगसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-आजडोली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 30. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
--	--	--

दावा बाबत
 बन्तवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
 अन्तर्गत धारा-53, 188, R.T.Act.


उपस्थित:-

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री नागपालसिंह राठौड़, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05, 11 ता 15, 17, 18, 20, 21 व 24 की ओर से।

--: निर्णय :-

दिनांक 12.02.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद मौजा आजडोली तहसील डीडवाना के आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 20.12 बीघा व खसरा नम्बर 89 रकबा 71.17 बीघा के बन्तवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादी का वाद दिनांक 26.10.2017 को प्राथमिक डिक्री सादर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्र क्रमांक: 2704 दिनांक 28.12.2017 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित विभाजन पर उभयपक्ष सहमत हैं तथा इसी अनुसार अंतिम डिक्री पारित करने की इस्तदुआ की गयी है। बन्तवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है तथा इनके द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् सहमत हैं।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 147/2018
दायर दिनांक 05.06.2017, निर्णय दिनांक 12.02.2018
भवानीसिंह बनाम् टीकुराम, वगैरा।

अतः तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित विभाजन को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा आजड़ोली तहसील डीडवाना के आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 20.12 बीघा व खसरा नम्बर 89 रकबा 71.17 बीघा का बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्तवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.12.2017 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

विभाजन प्रस्ताव, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)

सहायक R.A.S. कलक्टर

डीडवाना (तहसील)

डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 12.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)

सहायक R.A.S. कलक्टर

डीडवाना (तहसील)

डीडवाना